

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुरूपी 1/IIA के युप डी-1A में संवर्गित प्रधानाचार्य (समाप्ति) एवं समकक्ष पद (युप डी-1A) पे-ग्रेड्स में लेवल-16 में वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक(मुख्य एवं रिक्त) की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- शिविस-माध्य/संस्था-एवी/बी-1A/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2019-20 (नियमित) दिनांक- 24.05.2019 द्वारा चयन किया गया था। लेकिन तत्समय निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये गये थे। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- शिविस/माध्य/विजांव/11187/सी-048/2019/132-33 दिनांक 23.12.2020 द्वारा विभागीय जांच ड्रॉप किये जाने पर राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित के प्रधानाचार्य को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	जन्म तिथि	जाति वर्ग	पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान (राजमावि)
1	1877/10-11	CHIKTRA SINGH	06-10-1971	Gen	GOVT SE.SCHOOL, ASHKANDRA - JAISALMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TEJMALTA (220560) (08160311512)SAM, JAISALMER

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड आक से एवं विभागीय ई-मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित कार्मिक नियत तिथि दिनांक:- 30.06.2021 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि उक्त निर्देशों की पालना नियन्त्रण अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है तो उसके लिए नियन्त्रण अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरूरी रजिस्टर्ड आक/ई-मेल सूचित करेंगे। निर्धारित अवधि तक पदोन्नत कार्मिक द्वारा पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर इसे पदोन्नति परित्याग माना जावेगा।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर
दिनांक:- 24.06.2021

क्रमांक:- शिविस-मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./डीपीसी-19-20/पदस्थापन/वो.1/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(युप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जोधपुर।
06. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जैसलमेर।
07. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति सम, जैसलमेर।
08. संबंधित संस्था प्रधान।
09. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पावन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/डीपीसी प्रकोष्ठ।
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर